

झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता से नरिहर्ता के नयिम 2006 में संशोधन चर्चा में क्यों?

24 मार्च, 2022 को झारखंड विधानसभा में संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता से नरिहर्ता के नयिम 2006 में संशोधन विधानसभा से पारित हुआ।

प्रमुख बदि

- इसके अनुसार अब कोई भी व्यक्ति संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर के न्यायाधिकरण में दल-बदल की याचिका दायर कर सकता है। पहले यह अधिकार सरिफ स्पीकर के पास था कविह दल-बदल मामले में स्वतः संज्ञान ले सकता था। नए संशोधन में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।
- यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के दिये गए नरिणय के आलोक में कथिा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में फैसला दिया था कदिल-बदल अधिनयिम के अधीन कोई बाहरी व्यक्ति इस वषिय को उठा सकता है।
- इस संबंध में विधानसभा की वरिष समति ने दल-बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष के स्वतः संज्ञान की शक्ति को हटाने की सफिरशि की थी, जिसे अब वलियोपति कर दिया गया है।
- इसके अलावा शून्यकाल और प्रश्नकाल के नयिमों में भी संशोधन कथिा गया है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटा दिया गया है तथा नयिमावली में शून्यकाल की संख्या 15 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। साथ ही अब 14 दनि पहले प्रश्न डालने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।